

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र सं०-01/ए०जी०कोर्ट-11/2012-

/कृ०, पटना, दिनांक ,2016

अधिसूचना

अधि० सं०-01/ए०जी०कोर्ट-11/12 दिनांक-...../2016 वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10770 दिनांक-30.12.1981 में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्य) के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि एवं वेतनमान में द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वरीयता क्रमांक	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि	द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की अनुमान्य तिथि	वेतनमान
1	2	3	4	6	7
1	डा० चन्देश्वर मिश्र, सेवानिवृत्त अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, पटना	210	13.06.1968 (कृषि विभागीय पत्र सं-1492 दि०-8.5.01 के अनुसार)	13.06.1993	3700-5000/-
2	स्व० अता करीम, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक (पाट) पूर्णियाँ	251	05.05.1958	05.05.1983 05.05.1987 (घटना वर्ष 1983-84 के आरोप के कारण निंदन की सजा निरूपित होने के चलते)	1350-2000/-
3	स्व० ज्ञानेन्द्र नारायण चौधरी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, लखीसराय,	340	30.05.1959	30.05.1984	1350-2000/-
4	श्री वासुदेव प्रसाद, सेवा निवृत्त अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सा०), मसौढ़ी, पटना।	345	29.05.1959	29.05.1984	1350-2000/-
5	स्व० रामप्रीत सिन्हा, सेवानिवृत्त अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, चतरा	393	25.05.1960	25.05.1985	1350-2000/-
6	स्व० शिवपद बनर्जी, भूतपूर्व अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (प्रसार), भागलपुर	488	25.05.1960	25.05.1985	1350-2000/-
7	मो० अब्दूर रहमान, सेवानिवृत्त रेडियो सम्पर्क पदाधिकारी, भागलपुर	512	28.05.1960	28.05.1985 04.05.1993 (विभागीय परीक्षा से विमुक्ति दिनांक-04.05.93 के कारण)	1350-2000/-
8	श्री रामस्वरूप लाल, सेवानिवृत्त अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रक्षेत्र डालटेनगंज, पलामू	664	02.06.1961	02.06.1986	2000-3800/-
9	स्व० हरिनंदन झा, भूतपूर्व अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (प्रसार), मधेपुरा	334 (1975 के वरीयता सूची के अनुसार)	30.05.1959	30.05.1984	1350-2000/-

1. भविष्य में संबंधित पदाधिकारियों के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके वेतनमान से संबंधित कोई निर्णय संसूचित किया जाता है तो वैसी स्थिति में यह प्रोन्नति प्रभावित होंगे और इसे संशोधित किया जा सकेगा। यदि सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रदत्त प्रोन्नति के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उठायी जायेगी तो इसके फलस्वरूप अधिक/कम भुगतान की गयी राशि को तदनु रूप वसूली एवं समायोजन कर ली जायेगी।
2. समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन विचाराधीन पदाधिकारियों की संगत अवधि की गोपनीय चारित्री अप्राप्त है उनका सक्षम प्राधिकार से चारित्री/विशेष चारित्री प्राप्त कर प्रस्ताव समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा।
3. कालबद्ध प्रोन्नति के अधीन स्वीकृति प्रदान किये जाने पर पदनाम वर्गीकरण या उच्चतर हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
4. कालबद्ध प्रोन्नति के अधीन पदाधिकारी विशेष के लिये पूर्णतः व्यक्तिगत होगा और उसी वरीयता की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वरीय पदाधिकारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण नहीं होगा कि उस वेतनमान में कनीय पदाधिकारी ने उक्त योजना के तहत उच्चतर वेतनमान प्राप्त कर लिया है।
5. उक्त प्रोन्नति के तहत वेतन नियतीकरण/निर्धारण संगत अधिसूचना/संकल्प/परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

प्रस्ताव में माननीय मंत्री कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—
(विनोद रजक)

अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—01/ए0जी0कोर्ट—11/2012—

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, पटना/झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/क०, पटना, दिनांक, 2016

ह०/—

अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—01/ए0जी0कोर्ट—11/2012—

प्रतिलिपि:—वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/क०, पटना, दिनांक, 2016

ह०/—

अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 01/ए0जी0कोर्ट-11/2012-

/कृ०, पटना, दिनांक ,2016

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक, कृषि/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि के सभी संयुक्त निदेशक, प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक सहित/कृषि के सभी उप निदेशक, प्रमंडलीय उप निदेशक सहित एवं संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-01/ए0जी0कोर्ट-11/2012-

/कृ०, पटना, दिनांक ,2016

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-01/ए0जी0कोर्ट-11/2012-

4490

/कृ०, पटना, दिनांक 21-10, 2016

प्रतिलिपि- उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


21.10.16


21/10/16

अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।